612-19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वादी चुनाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि कम कर दी थी। जिसकी दुरूस्ती हेतु दाव प्रस्तुत किया हुआ है। यह भूमि प्रतिवादी के खसरा नम्बर 297 में बढा दी गई थी जो किवादी आदूराम कि भूमि से कम की गई है। जिसका माप 0.16 हैक्टेयर बनता है। यह माप दावे में अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहे है। अतः खसरा नम्बर 297 के कुल रकबा से 0.16 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण से कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे। जो शामिल पत्रावली रहे।

वकील उभस पक्ष ने निवेदन किया कि राजीनामा के अनुसार वादीगण का यह दावा स्वीकार किया जाता है तो दोनो पक्षो कोई ऐतराज नहीं है। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि मेरा दावा इसी स्टेज पर राजीनामा के आधार पर स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 18:24:22 IST
Reason: SelfAttested